सेना	राज्य	स्टेशन
	राजस्थान	जोधपुर, कोटा, नसीराबाद, सूरतगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर ।
	हरियाणा	अंबाला, चंडीमंदिर, हिसार ।
	उत्तर प्रदेश	मेरठ, रुड़की, देहरादून, पिथौरागढ़, बरेली, मथुरा लखनऊ, झांसी, बबीना ।
	बिहार	रांची ।
	उड़ीसा	गोपालपुर ।
	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता, पानागढ़ ।
	असम	सिल्चर, तेजपुर, डिब्रूगढ़, मिस्सामारी ।
	त्रिपुरा	अगरतला ।
	मेघालय	उम्रोई ।
	महाराष्ट्र	पुणे, देहू रोड, देवलाली, अहमदनगर ।
	तमिलनाडु	वेलिंगन ।
नौसेना	केरल	कोचीन, एझीमाला ।
	गोवा	गोवा ।
	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम ।
	उड़ीसा	चिल्का ।
	महाराष्ट्र	बम्बई, लोनावाला ।
	गुजरात	पोरबन्दर ।
	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर ।
	तमिलनाडु	अर्कोनम ।
वायुसेना	उत्तर प्रदेश	बरेली, बम्रौली, कानपुर ।
	मध्य प्रदेश	महाराजपुर ।
	गुजरात	जामनगर, भुज ।

Crash of MIG-29 aircraft

1373. SHRI PRAMOD MAHAJAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the number of Mig-29 aircraft that crashed during the last three years, year-wise; and

(b) the reasons for such frequent crashes and the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) During the last 3 years, 2 MIG-29 aircraft MIG-29 aircraft have crashed under

Year	No.of aircraft crashed
1991-92 1992-93 1993-94 (till 28-2-94) .	1 Nil 1

(b) Every accident is investigated by a Court of Inquiry. The main reasons for such crashes have been identified as Human Error, Technical Defects and Bird Hazard. Government has taken steps to iprove the initial selection & Basic and Advanced training of pilots to reduce human error. In case of technical defects, prompt remedial measures are taken in consultation with the manufacturers. To minimise-bird hazard, measures to reduce bird activities and improve sanitation near airfields have been taken.

पाकिस्तानी सेना के साथ झड़पें

1374. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-फरवरी, 1994 के दौरान जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के साथ कितनी झड़पें हुई और उनमें कितने भारतीय सैनिक घायल हुए तथा कितने मारे गए; और

(ख) मारे गए सैनिकों के नाम क्या-क्या थे तथा उनके परिवारों को किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जनवरी-फरवरी, 1994 के दौरान जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की झड़पें नहीं हुई हैं। तथापि, 1994 (17-2-94 तक) के दौरान वहां पर गोलीबारी की कुल 312 घटनाएं घटीं। गोलीबारी की इन घटनाओं में कुछ हताहत हुए थे। सशस्त्र सेनाओं के विकलांग अथवा मारे गए कार्मिकों के परिवारों को विद्यमान नियमों के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । इस सम्बन्ध में उन्हें दी जा रही सहायता की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों/राष्ट्र द्रोही तत्वों के साथ हुई मुठभेड़ों में मारे गए सैन्य कार्मिकों के परिवार निम्नलिखित पेंशन सम्बन्धी लाभ पाने के हकदार हैं :—

(1) सैन्य कार्मिक की मृत्यु या उसके सेवा के अयोग्य ठहराए जाने के समय मिलने वाले अन्तिम वेतन की दर पर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन ।

(2) मृत्यु उपदान इस प्रकार दिया जाता है :—

*(क)	एक वर्ष से कम सेवा के लिए	—2 महीने का वेतन
*(ख)	1 वर्ष से 5 वर्ष की सेवा के लिए	—6 महीने का वेतन
*(ग)	5 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम सेवा के लिए	—12 महीने का वेतन
*(घ)	20 वर्ष और उससे अधिक की गई सेवा के लिए	प्रत्येक पूरे वर्ष में की गई सेवा के लिए एक महीने का वेतन किन्तु अधिकतम 33 महीने का वेतन अथवा 1 लाख रुपए जो भी कम हो।

*गणना करने के लिए कुल की गई सेवा में 5 वर्ष का लाभ जोड़ा जाता है।

(3) जूनियर कमीशन अफसरों और अन्य रैंकों के लिए परिवार उपदान की विनिर्दिष्ट दरें 450 रु० से ले कर 1600 रु० तक और रैंक के आधार पर अफसरों के लिए 2000 रु० से ले कर 16,000 रुपए तक है।

इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में कार्रवाई के दौरान मारे गए कार्मिक के परिवार/आश्रितों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं :—

(क) सेना पत्नी कल्याण संघ समिति

दिवंगत अफसरों, जूनियर कमीशन अफसरों और जवानों की पत्नियों को क्रमशः 5000 रुपए,